2019/00109

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा – पत्र

उनवान

गोविन्द सिंह बनाम हीरालाल

किस्म मुकदमा धारा 223 मि. नं. 40/2019 सन्

अभिभाषक अपीलान्ट श्री शम्भू दयाल विजय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2-11-2020	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी राज्य कार्य से बाहर/अवकाश पर है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 2-12-2020 को पेश हो। [हस्ताक्षर] रीडर भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी कोटा (राज.)	07-12-2020
7.12.20	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब [illegible] की [illegible] जावे तथा यह पत्रावली दिनांक 25.1.21 को पेश हो। [हस्ताक्षर] (महेन्द्र लोका) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज.)	25.1.21
25-1-21	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 1-2-21 को पेश हो। रीडर भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज.)	
1-2-21	पत्रावली पेश हुई/ आज हम अन्य राजकार्य में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्वानुसार कार्यवाही अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 2-2-2021 को पेश हो। [हस्ताक्षर] (महेन्द्र लोका) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज.)	1.2.21 02-2-21 R-1 ता० R-23 तलबी शेष
2-2-2021	पत्रावली पेश हुई/ अभिभाषक अपीलांट उपस्थित नहीं हैं। अभिभाषक अपीलांट को बार-बार आवाजें लगवाई गई कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। रेस्पोंडेंट की तलबी भी अभी तक नहीं करवाई गई है/ अतः पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है/ पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर हो। [हस्ताक्षर] (महेन्द्र लोका) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज.)	अदम हाजरी

प्रस्तुतकर्ता
श्री शम्भुदयाल विजय एड० ने पेश की। रीडर रिपोर्ट करें।
SOCUM RAA Kota
03-06-19

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकार पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
बांरा झालावाड मु0 कोटा

अपील संख्या : /19

गोविन्द सिंह पुत्र बुद्ध सिंह , जाति राजपूत , आयु वर्ष ,
निवासी भीलखेडा , हाल निवास मऊ बोरदा , तहसील खानपुर
जिला झालावाड ¦राज0¦ ----- अपीलांट

- बनाम -

1 :- देव लाल पुत्र बाल्या जाति चमार , नि0 खैरखेडा तह0 खानपुर
2 :- प्रभू लाल पुत्र कंवर लाल जाति चमार नि0 खैरखेडा
3 :- मथुरा लाल पुत्र कंवर लाल जाति चमार
4 :- डेमराज पुत्र कंवर लाल , जाति चमार
5 :- कंवर बाई बेवा कंवर लाल जाति चमार
6 :- कालू लाल पुत्र गजानन्द जाति चमार
7 :- रामरतन पुत्र गजानन्द जाति चमार
8 :- तुलसा बाई बेवा गजानन्द , जाति चमार , निवासी गण खैरखेडा तह0 खानपुर जिला झालावाड ¦राज0¦
9 :- कल्याण सिंह पुत्र नन्द सिंह जाति राजपूत
10 :- भंवर सिंह पुत्र नन्द सिंह जाति राजपूत
11 :- कंवर बाई पुत्री नन्द सिंह जाति राजपूत
12 :- अजब बाई पुत्री नन्द सिंह जाति राजपूत , निवासी गण ~~xxx~~ भीलखेडा , हाल मऊ बोरदा तह0 खानपुर जिला झालावाड
13 :- श्रृंगार बाई बेवा नन्द सिंह ¦ मृतक ¦
14 :- किशोर सिंह ~~xxxxxx~~ ¦ मृतक ¦
15 :- रघुनाथ सिंह पुत्र किशोर सिंह ¦ मृतक ¦
16 :- रामचन्द्र पुत्र किशन लाल जाति गुर्जर
17 :- कमला बाई पुत्री किशन लाल जाति गुर्जर
18 :- रामपाल पुत्र देव लाल जाति गुर्जर

-/2

19:- जगन्नाथ पुत्र देव लाल , जाति गुर्जर

20:- रामभरोसे पुत्र देव लाल जाति गुर्जर

21:- गौरधनी बाई पत्नि देव लाल जाति गुर्जर

निवासी गण ग्राम भीलखेडा तहसील खानपुर जि0 झालावाड

22:- भूमि अवाप्ति अधिकारी , परवन सिंचाई परियोजना ,अकावद सिंचाई विभाग खण्डिया रोड झालावाड [राज0]

23:- स्टेट आफ राजस्थान , जरिये तहसीलदार खानपुर जि0 झालावाड

---- रैस्पोडैन्ट्स

अपील बनाराजनी निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25-4-19, न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड वाद संख्या 107/16 बउनवान देव लाल कौरहा बनाम कल्याण सिंह कौरहा , अन्तर्गत धारा 223 राज0टी0एक्ट

मान्यवर ,

अपीलांट्स निम्न निवेदन करते है :-

1:- यह कि निर्णय व डिक्री जेर अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून एवं स्वैदाद मिसल होने से काबिल निरस्तनीय है।

2:- यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रैस्पोडैन्ट्स द्वारा प्रस्तुत वाद प्रथम दृष्टया खारिज योग्य होते हुये भी सरसरी तौर पर एक पक्षीय रूप से डिक्री फरमा दिया है जो कि विधि विरूद्ध होने से निर्णय व डिक्री अदालत मातहत निरस्तनीय है।

3:- यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी रैस्पोडैन्ट्स द्वारा जो वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें प्रतिवादी नं0 5,6,7 की मृत्यु काफी अर्से पूर्व ही हो चुकी है, और वाद मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है , जब कि मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध वाद प्रथम दृष्टया ही चलने योग्य न होने